संख्या-7/2021/1911/76-4-2020-2/3(30)/2017टी0सी0

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-4 लखनऊ:ः दिनांकः 04 जनवरी, 2021

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन स्वीकृत योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत 'हर खेत को पानी' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा तक अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1443/ल0सिं0/बजट-एच.के.के.पी./2020-21, दिनांक 10.12.2020 एवं वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाषीर्शक 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-12-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-1202-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत हर खेत को पानी (के.60/रा.40-के.ंरा.)-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0-5000.00 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित केन्द्रांश रू0-1669.00 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0-1112.67 लाख सहित कुल रू0-2781.67 लाख के सपेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0-1390.83 लाख(रू0 तेरह करोड़ नब्बे लाख, तिरासी हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपित आवश्कतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) धनराशि के उपयोग/व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य/भारत सरकार के शासनादेशों एवं गाइडलाइन्स का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

(5) धनराषि का कोशागार से आहरण तभी किया जायेगा जब योजना के संचालन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) धनराशि का कोषागार से आहरण 02 माह की आवश्यकता के अनुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अपेक्षित वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(11) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी-1-192/दस-2020, दिनांक 07.04.2020, दिनांक 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(12) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय समयान्तर्गत निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

(13) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1199/76-4-2020-2/2(01)/2016, दिनांक 04.09.2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत सं0-13 के अधीन लेखाषीर्शक ''4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-12-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-1202-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत हर खेत को पानी (के.60/रा.40-के.ंरा.)-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 संख्या-ई-2-11/ दस-2021, दिनांक 04.01.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-7/2021/1911(1)/76-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3. नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7. एन0आई0सी0 की प्रति।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in